संख्या-6/2018/1711/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2018**

विषय:- प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनमानस को अत्यन्त ही पारदर्शी एवं सहज, सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-298/91-2017-194-2017, दिनांक 30-06-2018 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि जनमानस को ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उक्त सेवा को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सकें।

2- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्न सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में पूर्व में निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-2507/60-1-08-1/13(9)/08, दिनांक 23 जून, 2008 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना

3- महिला एवं बाल विकास विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4- अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है, तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का शासनादेश संख्या-8/2017/1578/60-1-17-1/13(72)/06, दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा सरलीकृत करते हुये संशोधित किया जाता है। उसमें अंकित निर्देशों के अनुसार पात्र महिलाओं को पेंशन प्रदान की जायेगी। उक्त शासनादेश में वर्णित अभिलेख ऑनलाईन अपलोड किये जायेंगे।

5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलीवरी प्वाइंटस यथा-जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

6- आवेदक द्वारा विभाग की उक्त सेवा को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र पर जा कर सुविधा प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

7- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा, जिस तरह व वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल www.mahilakalyan.up.nic.in पर प्रोसेस कर रहे हैं।

8- महिला एवं बाल विकास विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने, समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री सतीश श्रीवास्तव, शोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहायक, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ मोबाईल नम्बर-9415382439 ई-मेल-directormahilakalyan@gmail.com को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि लाभार्थियों को उपरोक्त सेवाओं का त्वरित लाभ प्रदान करने में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1711(1)/60-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्टस यथा-जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
8- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in